सं.11011/3/2015-एसबीएम
भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
****

12वाँ तल, पर्यावरण भवन,
सीजीओ कॉम्प्लैक्स, लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003
दिनांक: 21.10.2015

सेवा में,

प्रधान सचिव/प्रभारी सचिव (ग्रामीण स्वच्छता)
सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

विषय: <u>**ओडीएफ जाँच के लिए आईएमआईएस मॉड्यूल**</u>

महोदय/महोदया,

कृपया इस मंत्रालय का दिनांक 3 सितंबर, 2015 का समसख्यक पत्र देखें जिसके माध्यम से राज्यों को ओडीएफ जाँच से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए गए थे और यह अनुरोध किया गया था कि गाँवों/ग्राम पंचायतों की ओडीएफ जाँच के लिए तंत्र बनाने की व्यवस्था करें। इसके अतिरिक्त इस मंत्रालय के दिनांक 8.10.2015 के समसंख्यक पत्र द्वारा राज्यों से अनुरोध किया गया था कि दिनांक 31 दिसंबर, 2015 तक सभी ओडीएफ गाँवों/ग्राम पंचायतों की ओडीएफ जाँच की प्रक्रिया को पूरा करें। आशा है कि आपके राज्य ने जाँच की प्रक्रिया शुरू कर दी होगी।

2. ओडीएफ उपलब्धियों की ऑनलाइन मॉनीटरिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए आज आईएमआईएस पर एक ऑनलाइन मॉड्यूल शुरू किया गया है (मॉड्यूल संख्या ईएम-44)। इस मॉड्यूल में जिलों के लिए एक प्रावधान है जिसके द्वारा वे उन गाँवों तथा ग्राम पंचायत को चिन्हित कर सकते हैं जिन्होंने उपर्युक्त पत्रों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वयं को ओडीएफ घोषित किया है। इसके अतिरिक्त राज्यों के लिए भी प्रावधान है कि वे उन गाँवों/ग्राम पंचायतों को चिन्हित कर सकते हैं जो भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसरण में संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए तंत्र के अनुसार ओडीएफ के रूप में जाँचा जा चुका है। "घोषित ओडीएफ" के आँकडों की प्रविष्टि जिला स्तर पर की जाए। "ओडीएफ वेरीफाइड" के आँकड़ों की प्रविष्टि राज्य स्तर पर की जानी है। रिपोर्ट आईएमआईएस पर प्रोफार्मा **एफ-42** पर उपलब्ध है।

3. यह आशा की जाती है कि यह मॉड्यूल आपके राज्य में ओडीएफ बन रहे गाँवों/ग्राम पंचायतों की बढ़ती हुई संख्या को ट्रैक करने में सहायक सिद्ध होगा। अतः यह अनुरोध है कि जिन ओडीएफ

गाँवों/ग्राम पंचायतों ने खुद को ओडीएफ घोषित किया है और जो राज्य सरकारों के तंत्र के अनुसार जाँचे जा चुके हैं, उनकी संख्या दर्शाने के लिए इस मॉड्यूल का यथाशीघ्र उपयोग करें।

4. दिनांक 28 और 29 अक्टूबर, 2015 को होने वाली समीक्षा बैठक के दौरान और उसके बाद की समीक्षाओं के लिए इस मॉड्यूल में भरे गए आँकड़ों का उपयोग किया जाएगा।

भवदीय,

Sd/-
(डॉ. निपुन विनायक)
निदेशक

प्रति:
राज्य समन्वयक - एसबीएम (जी),सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

प्रति प्रेषित:
सचिव (डीडब्ल्यूएस) के पीपीएस/संयुक्त सचिव (एसबीएम) के पीएस
तकनीकी निदेशक, एनआईसी - मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।